

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार

पोलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ अभियान

पोलीथीन उन्मूलन सप्ताह

27 मई – 2 जून, 2018

हिमाचल प्रदेश सरकार, राज्य में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से बढ़ती कचरे की समस्या का उचित समाधान कर पर्यावरण संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में प्लास्टिक और अन्य जीवअनाशित अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं उन्मूलन के लिए हिमाचल प्रदेश जीवअनाशित कूड़ा कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 लागू किया है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2009 से प्लास्टिक थैलों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। प्रदेश में प्लास्टिक के थैलों का उपयोग न हो, इसके लिए समय-समय पर अनेक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए इन कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। प्रदेश सरकार जनता के सहयोग से इसी दिशा में निरन्तर आगे बढ़ती जा रही है एवं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी एक साप्ताहिक पोलीथीन उन्मूलन कार्यक्रम **"पोलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ अभियान"** पूरे राज्य में 27 मई से 2 जून 2018 तक चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं।

- (क) यह अभियान प्रदेश के प्रत्येक जिले में चलाया जाएगा जिसका समन्वयन एवं निगरानी सम्बन्धित जिला उपायुक्त स्वयं करेंगे।
- (ख) स्थानीय स्तर पर यह कार्यक्रम शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थानों द्वारा संचालित किया जाएगा।
- (ग) इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों एवं गैर-सरकारी संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा।
- (घ) इस कार्यक्रम में स्थानीय मंत्रियों, विधायकों एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों को शामिल कर उनके नेतृत्व में आम जनता को प्रेरित किया जाएगा।
- (ङ) इस अभियान के अन्तर्गत पोलीथीन को दो अलग-अलग थैलियों में एकत्रित किया जाएगा—
 1. बहुपरती पोलीथीन जैसे चिप्स, चाकलेट, टॉफी आवरण इत्यादि।
 2. 60 माईक्रोन से कम मोटाई वाला पोलीथीन जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाएगा।

इस उद्देश्य के लिए हर व्यक्ति को जो इस अभियान में शामिल हो, उसे दो अलग-अलग थैले दिए जाएं। यह थैले सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थानों द्वारा उपलब्ध किए जाएंगे।

- (च) सम्बन्धित पंचायतें, शहरी स्थानीय निकाय एवं सम्बन्धित विभाग एवं संस्थान इसी प्रकार दो अलग-अलग बोरियों में प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करेंगे।
- (छ) लोक निर्माण विभाग सड़कों में प्रयोग होने वाला प्लास्टिक निम्नलिखित पूर्व निर्धारित स्थानों में सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थानों एवं विभागों द्वारा निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त करेगा:

लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थापित प्लास्टिक श्रैडर	प्लास्टिक अपशिष्ट प्राप्त करने का निर्धारित स्थान	सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज विभाग एवं अन्य विभाग
मण्डी	मण्डी	मण्डी, रिवालसर, सुन्दरनगर, नेरचौक
कुल्लू	कुल्लू	मण्डी, कुल्लू, भून्तर एवं बंजार
धर्मशाला	धर्मशाला	धर्मशाला, कांगड़ा, नगरोटा, पालमपुर एवं देहरा
जोगिन्दर नगर	जोगिन्दर नगर	बैजनाथ-पपरोला एवं जोगिन्दरनगर
नूरपुर	नूरपुर	नूरपुर, ज्वाली, एवं चौवाड़ी
चम्बा	चम्बा	चम्बा एवं डलहौजी
हमीरपुर	हमीरपुर	हमीरपुर, सुजानपुर, नादौण एवं ज्वालाजी
बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर, श्री नैना देवी जी, तलाई एवं घुमारवीं
उना	उना	दौलतपुर, गगरेट, उना, मेहतपुर, संतोखगढ़ एवं तहलीवाल
सोलन	सोलन	सोलन, राजगढ़ एवं अर्की
नाहन	नाहन	नाहन एवं पौंटा साहिब
निरमण्ड	निरमण्ड	रामपुर
ठियोग	ठियोग	नारकण्डा, कोटखाई, चोपाल एवं ठियोग
रोहडू	रोहडू	जुब्बल एवं रोहडू

- (ज) एकत्रित पोलीथीन का संलग्नक-क के अनुसार विवरण सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थानों एवं विभागों द्वारा रखा जाएगा जिसे जिला स्तर पर संकलित

किया जाएगा तथा यह विवरण पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

- (झ) बहुपरती प्लास्टिक तथा जिस प्लास्टिक को लोक निर्माण विभाग सड़क बनाने में प्रयोग नहीं कर सकता उसकी कतरनें कर के सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय सम्बन्धित स्थानों पर सिमेंट कम्पनी को ईंधन प्रयोग हेतु भेज सकती है।
- (ञ) शिमला तथा इसके आस पास के क्षेत्र में एकत्रित पोलीथीन जो शिमला स्थित अपशिष्ट से उर्जा निर्माण संयंत्र के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे अलग अलग थैलों में एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। उसे एक साथ एकत्रित करके शिमला नगर निगम को दिया जाए।
- (ट) लोक निर्माण विभाग को जो प्लास्टिक/पोलीथीन प्राप्त होगा उसका संलग्नक-ख के अनुसार विवरण पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी भेजेगा। लोक निर्माण विभाग प्राप्त पोलीथीन का प्रयोग इस वर्ष निर्मित होने वाली सड़कों को बनाने में करने का प्रयास करेगा तथा जिन सड़कों के निर्माण में इसका प्रयोग होगा उसका विवरण पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सांझा करेगा।
- (ठ) इस अभियान के दौरान सभी विभाग अपने क्षेत्र की सफाई करने के लिए उत्तरदायी रहेंगे। विशेषकर वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग उनसे सम्बन्धित वन क्षेत्रों तथा सड़कों में बिखरे पोलीथीन कचरे को एकत्रित करने का विशेष अभियान चलाएंगे। एकत्रित पोलीथीन कचरे का विवरण संलग्नक-क के अनुसार पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सांझा करेंगे। सभी विभाग उपरोक्त निर्देशों के तहत ही एकत्रित पोलीथीन कचरे का निष्पादन करेंगे।
- (ड) एकत्रित पोलीथीन कचरे को जलाकर निष्पादन करना निषेध होगा।
- (ढ) सफाई के दौरान नदी, नालों, पानी के स्रोतों के आसपास के क्षेत्र, पर्यटक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- (ण) प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थानों, विभागों एवं संस्थाओं द्वारा उनके द्वारा प्रदेश को साफ सुथरा रखने हेतु किए गए बेहतरीन कार्यों का मूल्यांकन कर प्रोत्साहित कर सम्मानित भी किया जाएगा।

संलग्नक-क

जिला	संस्था का नाम	अवधि	एकत्रित पोलीथीन कचरे की मात्रा (किलो ग्राम में)			पालीथीन कचरे के निष्पादन की मात्रा (किलो ग्राम में)	
			सड़क निर्माण हेतु एकत्रित पोलीथीन की मात्रा	अन्य पोलीथीन कचरे की मात्रा	एकत्रित पोलीथीन कचरे की कुल मात्रा	लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थापित श्रैडर पर जमा प्लास्टिक कचरे की मात्रा	ईंधन के रूप में प्रयोग हेतु सिमेंट इकाईयों एवं उद्योगों को भेजे कचरे की मात्रा

जिला	संस्था का नाम	अवधि	एकत्रित पोलीथीन कचरे की मात्रा (किलो ग्राम में)			पोलीथीन कचरे से निर्मित सड़क का विवरण		
			सड़क निर्माण हेतु एकत्रित पोलीथीन की मात्रा	अन्य पोलीथीन कचरे की मात्रा	एकत्रित पोलीथीन कचरे की कुल मात्रा	पोलीथीन निर्मित सड़क का नाम	पोलीथीन निर्मित सड़क की लंबाई	सड़क निर्माण हेतु किए गए पोलीथीन के प्रयोग की मात्रा